भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण

एफ डी ए भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली

दिनांक 29 अगस्त, 2013 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) की बारहवीं बैठक का आयोजन एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में 20 अगस्त को 11 बजे श्री के. चन्द्रमोली, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई, की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक** में है। सदस्य जो बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें अवकाश की अनुमति दी गई।

बैठक से संबंधित 25 जुलाई, 2013 के राजपत्र की घोषणा में नवीन संगठित प्राधिकरण के सदस्यों का अध्यक्ष ने स्वागत किया। यह नवीनतम संगठित पहले प्राधिकरण की बैठक थी, जिसमें अध्यक्ष ने उद्घाटन टिप्पणी करते हुए 5 अगस्त से लागू एफएसएस अधिनियम, 2011 की विनियम घोषणा द्वारा अस्तित्व में आए अधिनियम के बारे में अवगत कराया। उन्होंने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली तथा कर्तव्यों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह भी बताया कि प्राधिकरण की अभी तक ग्यारह बैठकें आयोजित हो चुकी हैं और बुनियादी ढांचे को एक प्रारूप प्रदान करते हुए, वैज्ञानिक नामावलियों तथा वैज्ञानिक समितियों तथा विशेषज्ञ दलों द्वारा विज्ञान पर आधाारित मानदंडों का एक ढांचा बनाकर तथा संपूर्ण देश में अधिनियम को परिचित कराने हेतु यथेष्ट कार्य किया जा चुका है। देश में कितना खाद्य पैदा हुआ है, कितना निर्माण किया जा चुका है, कितना आयातित हुआ है तथा कितने का उपभोग किया गया है तथा किस प्रकार खाद्य संरक्षा करनी है, आदि एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तथा चुनौती भरा कार्य है। उन्होंने सदस्यों को यह भी बताया कि प्राधिकरण के पदाधिकारी अपनी तरफ से भरसक कार्य करेंगे ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्राधिकरण के उद्देश्य प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष ने श्री डी. के. सामानतरे, जिन्होंने सी ई ओ, एफ एस एस ए आई के रूप में प्राधिकरण का कार्यभार संभाला है, को भी परिचित कराया और उनसे निवेदन किया कि यह बैठक की कार्यवाही संभाले।

मद सं. 1: सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना

नए सदस्यों ने खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 7(3) तथा भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण नियम 2008 के अन्तर्गत पद तथा गोपनीयता की शपथ ली तथा ''रूचि की वार्षिक घोषणा'' पर भी हस्ताक्षर किए।

मद सं. 2: सदस्यों द्वारा रूचि का प्रकटीकरण

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने ''रूचि की विशिष्ट घोषणा'' पर हस्ताक्षर किए ताकि कार्यवाहियों के आरम्भ होने से पहले बैठक में कार्यसूची पर विचार किया जा सके।

मद सं. 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) के पदग्रहण की सूचना

प्राधिकरण ने श्री डी.के. सामानतरे की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ एस एस ए आई के रूप में नियुक्ति की सूचना दी।

मद सं. 4: दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्राधिकरण ने 30 अक्टूबर, 2012 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद सं. 5: मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की रिपोर्ट

प्राधिकरण ने सी ई ओ की रिपोर्ट पर ध्यान दिया। सी ई ओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह नवीन गठित प्राधिकरण की प्रथम बैठक है और प्रतिष्ठित सदस्यों का स्वागत है, जो अगले तीन सालों तक प्राधिकरण को इनके द्वारा संपूर्ण देश में खाद्य संरक्षा के चुनौतीपूर्ण कार्य में संलग्न होकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

प्राधिकरण को नवंबर 2012 से अगस्त 2013 की अवधि में एफ एस एस ए आई द्वारा किए गए कार्यों को संक्षेप रूप में अवगत कराया। रिपोर्ट में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, आईईसी गतिविधियां, वैज्ञानिक समितियां/वैज्ञानिक पर्यवेक्षण बैठकें तथा मानक प्रतिवेश पर कार्य, प्राचीन मानकों के साथ समायोजन, प्राचीन पाण्डुलिपियों पर कार्य जिसमें मसाले तथा पाकशाला, जड़ी–बूटियां, जिनमें भारत मेजबानी करेगा, भी सम्मिलित है, खाद्य संरक्षा निगरानी तंत्र, खाद्य संरक्षा व्यवस्थापन तंत्र, उत्पादन उन्मोदन प्रयोगशालाओं का विकास, आर्थिक तथा बजट सहायता, प्राधिकरण प्रकलन, मानव संसाधन व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष जोर दिया गया।

मद सं. 6: एफ एस एस ए आई द्वारा 'आगे का पथ' की प्रस्तुति

एफएसएस अधिनियम, 2006 जिसके कारण एफ एस एस ए आई का निर्माण हुआ, के प्रमुख रूपों को सम्मिलित करते हुए एक प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण में एफएसएस, 2011 की महत्वपूर्ण धाराओं को सम्मिलित किया गया। प्रचलित कार्यकलाप और 'आगे का पथ' के प्रस्तुतिकरण में दर्शाया गया कि निर्माण खंडों, जिन पर भविष्य निर्भर है, वे हैं: विज्ञान पर आधारित गुणवत्ता तथा सुरक्षा मानक; प्रभावपूर्ण प्रवर्तन तथा जोखिम आधारित निगरानी, समाकलित खाद्य गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना; मानव शक्ति एवं अवसंरचना के माध्यम से क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और एफ एस एस ए आई को मजबूत करना। यह भी बताया गया कि प्रस्तावित गतिविधियां, जो केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के साथ साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को कवर करती हैं का निर्माण रू. 2350 करोड़ के व्यय को ध्यान में रखकर किया गया है, जो 'व्यय वित्त समिति तथा मंत्रिमंडल' के अनुमोदन का विषय है। प्रस्तुतीकरण के बाद में विचार विमर्श हुआ और इसके दौरान निम्नलिखित बिंदु निकलकर सामने आए:

- सदस्यों में से एक ने एफबीओ के लिए प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास; जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता तथा देश भर में और अधिक मान्यता प्राप्त सक्षम कार्यशालाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। संकरण तथा बदलते हुए भरण / चारा प्रतिमान को ध्यान में रख कर, और जैसाकि भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है और दूध तथा दूध से बने उत्पादन के मानकों में सुधार करने के लिए, इस बात की सम्भावना पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि दूध तथा दूध के उत्पादनों हेतु एक अलग से वैज्ञानिक पैनल हो। यह भी बताया गया कि जागरूकता सृजन गतिविधियां के माध्यम से ठोस प्रयास किए जाने चाहिए ताकि दूध उत्पादन के खास पहलुओं से संबंधित मिथक बातों जैसे कि दूध बढ़ाने के लिए आक्सीटोसिन के इंजेक्शन के उपयोग, को समाप्त किया जाए।
- एक सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर खाद्य निरीक्षण प्रयोगशालाएं हों और आयातित खाने के संबंध में कस्टम अधिकारियों को एफएसएस अधिनियम और इसमें वर्णित विनियमों की उचित जानकारी हो।
- अन्य सदस्य ने इस तथ्य पर ध्यान डाला कि देश के उत्तर–पूर्वी भाग में और विशेष रूप से मिजोरम में जहां पर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नही हैं, खाद्य निरीक्षण प्रयोगशाला अवसंरचना को मजबूती प्रदान की जाए; यहां तक कि गोहाटी में खाद्य निरीक्षण की प्रयोगशाला पूर्णरूपेण सज्जित नहीं है। अध्यक्ष एफ एस एस ए आई ने बताया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 72 जन खाद्य निरीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत करने के लिए बल दिया और मूल परीक्षणों की क्षमता के साथ प्रत्येक बीस जिलों के समूह के रूप एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला हो। यह भी सूचित किया गया कि एफ एस एस ए आई अन्य संस्थाओं (सीएसआईआर/आईसीएमआर/ आईसीएआर) से संपर्क में है ताकि अनुसंधान तथा विकास मानक निर्धारण तथा क्षमता निर्माण आदि क्षेत्रों में मिलजुल कर प्रयास कराया जा सके।
- संयुक्त सचिव, एमओएफपीआई ने पूछा कि क्या व्यक्तिगत प्रयोगशालाएं भी एफ एस एस ए आई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। बताया गया कि 68 एनएबीएल से प्राधिकृत प्रयोगशालाओं को एफ एस एस ए आई ने वैध करा दिया है और अब यह एक सक्रिय प्रणाली है।

कार्यसूची मद

1. वैज्ञानिक समिति तथा विभिन्न पैनल द्वारा अनुमोदित विभिन्न उत्पादों/अवयवों/जीवाणु मानकों के लिए मानकों का अनुमोदन

(क) एफएसएस विनियमों के अंतर्गत खाद्य अवयवों के रूप में आईसोमेलट्लेज का प्रयोग

खाद्य प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को नोट किया और अनुमोदन किया कि केवल मीठे उत्पादों में ही आईसोमेलट्लेज का खाने के एक अवयव के रूप में प्रयोग में लाया जाए और यह मिठाई में पूरी चीनी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ताकि उत्पादन की स्थिरता पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

(ख) विभिन्न खाद्य उत्पादों में उच्च फाइबर विलेय (घुलनशील आहारीय फाइबर) का प्रयोग

खाद्य प्राधिकरण ने निम्न खाद्य उत्पादों में एक अवयव के रूप में गेहूं अथवा मक्के से बने उच्च फाइबर विलेय (घुलनशील आहारीय फाइबर) के प्रयोग हेतु वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को नोट किया तथा अनुमोदित कियाः

लच्छे और खाने के लिए तैयार सूखा नाश्ता अनाज, नूडल्स, पास्ता, सलाद से सज्जित/ऊपर रखे तथा फैलाए गए; पूरक अथवा वाहक के रूप में टेबल टाप फाइबर और अनाजों एवं अन्य स्नैक फूड/सुगंध, बेकरी उत्पाद जिसमें बिस्कुट, कुकीज, ब्रेड, केक मिक्स तथा पेस्ट्री शामिल हैं।

उत्पाद जिनमें उच्च फाइबर विलेय मिलाया गया है, पर लेबल लगाया जाएगा और साथ–साथ ''अवयव पैनल'' में इसका स्रोत भी होगा और अवयवों (गेंहू/मक्का) का स्रोत गैर–जीएम होना चाहिए।

उत्पादों के मामले में जिनमें उच्च फाइबर विलेय मिलाया गया है और यदि इसकी मंशा दावा किए जाने की है तो ऐसे दावे भारतीय संहिता दिशानिर्देशों तथा आरडीए दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे।

(ग) शिशु फार्मूला तथा अनुवर्ती फार्मूले के लिए *क्राइप्थोडिनिम कोहनिल तथा मारटिरेहा एलपाइन* से डीएचए तथा एआरए को स्रोत के रूप में शैवाल और कवक तेल का प्रयोग

खाद्य प्राधिकरण ने शिशु फार्मूला तथा अनुवर्ती फार्मूले के लिए 17 मिग्रा/100 कैलौरी (डीएचए के संपूर्ण वसा एसिड के 0.3 प्रतिशत के बराबर) के स्तर तथा एआरएःडीएचए 2:1 के अनुपात में एआरए में क्रमशः *क्राइप्थोडिनिम कोहनिल* तथा मारटिरेहा एल्पाइन से डीएचए तथा एआरए के स्रोत के रूप में शैवाल और कवक तेल के संबंध में वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को नोट एवं अनुमोदित किया।

(घ) डेयरी विरंजक, जौ का अर्क, भोज्य मूंगफली का तेल (कर्षण द्वारा), बेकरी का खमीर, एक्सकॉर्बिक एसिड – खाद्य स्तर, कैल्शियम प्रोपिनियोट – खाद्य स्तर, लैक्टिक एसिड – खाद्य ग्रेड, सोडियम मैटाबिसुलफाइट – खाद्य ग्रेड, शिशु तथा प्री–स्कूल बच्चों के लिए प्रोटीन से परिपूर्ण पूरक खाद्य पदार्थ के लिए बीआईएस मानकों का अंगीकरण

प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति की सिफारिश पर एफएसएस विनियमों के अन्तर्गत 10 बीआईएस मानकों के विनिर्देशनों के अंगीकरण को नोट एवं अनुमोदित किया।

(ड़) गम में चमकीले रोगन कारकों के प्रयोग का अनुमोदन

खाद्य प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति की सिफारिश पर चियूंगगम तथा बबलगम में जीएमपी स्तर पर चमकीले रोगन कारकों जैसे कारनाऊबा वैक्स, बीज वैक्स, केन्डेलिला वैक्स तथा शैलेक के प्रयोग को नोट एवं अनुमोदित किया।

(च) दूध एवं दूध उत्पादों में जीवाणु मानकों का अनुमोदन

खाद्य प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति द्वारा खाद्य व्यापार परिचालकों को दूध तथा दूध उत्पादों के लिए जीवाणु मानकों को लागू करने हेतु अधिसूचना की तिथि से एक साल की समय अवधि दिए जाने की सिफारिश को नोट एवं अनुमोदित किया।

(ज) दूध पिलाने वाली बोतलों के निर्माण में पोलीकार्बोनेट के प्रयोग का अनुदोमन

खाद्य प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को नोट एवं अनुमोदित किया कि शिशुओं को दूध पिलाने वाली बोतलों के निर्माण में प्रयुक्त स्वीकृत पदार्थो की सूची से पोलीकार्बोनेट पदार्थो को हटा देना चाहिए।

कार्यसूची मदों पर विचार करते समय कुछ सदस्यों द्वारा निम्नलिखित बिंदु उठाए गएः

- अनुरोध किया गया कि यदि वैज्ञानिक समिति (एस.सी.)/वैज्ञानिक पैनल्स (एस.पी.एस.) द्वारा कुछ अवयवों को किसी निश्चित उत्पादों के लिए स्वीकृत कर लिया जाता है और कुछ अन्य में अस्वीकृत कर दिया जाता है तो यह भी कार्यसूची का हिस्सा माना जा सकता है। इसकी भी सलाह दी गई कि वैज्ञानिक पैनल/वैज्ञानिक समिति के कार्यवृत्तों को अन्य सदस्यों के लिए उपलब्ध कराया जाए।
- मानकों की स्थापना के आधार पर उठाए गए बिंदु के प्रत्युत्तर में वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनल द्वारा अनुसरण की गई वैज्ञानिक मूल्यांकन की पद्वति को विस्तृत रूप में वर्णित किया गया। यह सूचित किया गया कि एससी तथा एसपी के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ हैं। अपने देश की स्थितियों को ध्यान में रखकर तथा आवेदकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर इन वैज्ञानिक निकायों के सदस्यों ने उचित परिश्रम किया है। प्राचीन मानकों पर भी ध्यान रखा गया है। जब संहिता मानकों पर नजर डालते हैं तो इन निकायों ने भारत से संबंधित अन्य विभिन्न दशाओं को भी ध्यान में रखा है।

- इस पर भी सहमति हुई कि खाद्य मानक व्यवस्था एक सक्रिय प्रक्रिया है तथा मानक जिनको कभी अंगीकृत किया गया था, हमेशा सुधारों तथा पुनरीक्षण के लिए खुले हैं।

उठाए गए बिन्दुओं पर किए गए विचार विमर्श का निष्कर्ष निकालते हुए, इस पर सहमति जतायी कि कायसूची मदों पर किए गए विचार विमर्श जो वैज्ञानिक समिति तथा वैज्ञानिक पैनलों द्वारा संबंधित कार्यवाही पर किए गए हैं, का थोड़े अधिक विस्तृत रूप में वर्णन किया जाए। इस पर भी सहमति जतायी गयी कि प्राधिकरण की इन बैठकों के कार्यवृत्तों को सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध कराया जाए।

2. एफएसएस विनियमों के संशोधन का अनुमोदन और आंकड़े पेश करने के लिए संशोधित प्रारूप का अनुमोदनः

(क) खाद्य संरक्षा तथा मानक विनियम, 2011 (संदूषक, विष तथा अवशेष) का संशोधन कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा तक को ध्यान में रखकर

खाद्य प्राधिकरण ने निम्न वर्णित कीटनाशकों से संबंधित एमआरएल पर वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को नोट एवं अनुमोदन कियाः

क्र.सं.	कीटनाशक	वस्तु	प्रस्तावित एमआरएल/(मि. ग्राम/कि.ग्राम)
1.	प्रोफेनफोस	सोयाबीन	0.01 *
2.	हेरकीथियाजोकस	सेब	0.3
3.	पायराक्लोसट^{a}ोबिन	सोयाबीन	0.02 *
4.	पायराक्लोस ट^{a}ोबिन	कपास	0.02 *
5.	स्प्रीमेसीफिन	कपास	0.01 *
6.	डिथियोकार्बामेटस (सीएस2 के रूप में मैनकोज़ैब)	प्याज	4
7.	डिथियोकार्बामेटस (सीएस2 के रूप में मैनकोज़ैब)	हल्दी	2
8.	ट्राईसिक्लजोल (एम0 आर0 एल0 संशोधित)	चावल	3
* *(निर्धारित सीमा)*			

(ख) कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 (3) के अंतर्गत देश में प्रयोग के लिए नए कीटनाशकों के पंजीकरण के इच्छुक आवेदकों द्वारा अवशेष तथा विषाक्तता पर आंकड़ें प्रस्तुत करने हेतु संशोधित प्रोफार्मा का अनुमोदन

खाद्य प्राधिकरण ने कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 (3) के अंतर्गत देश में प्रयोग के लिए नए कीटनाशकों के पंजीकरण के इच्छुक आवेदकों द्वारा अवशेष तथा विषाक्तता पर आंकड़ें प्रस्तुत करने हेतु संशोधित प्रोफार्मा पर वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को नोट एवं अनुमोदित किया।

(ग) एफएसएस नियम तथा एफएसएस (खाद्य व्यापार का लाइसेंस तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 में संशोधन

खाद्य प्राधिकरण ने एफएसएस नियम तथा एफएसएस (खाद्य व्यापार का लाइसेंस तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 में संशोधन संबंधित सिफारिश को नोट एवं अनुमोदित किया।

3. ड्राफ्ट विनियमों का अनुमोदन

(क) ड्राफ्ट खाद्य संरक्षा तथा मानक (खाद्य अनुस्मरण प्रक्रिया) विनियम, 2013

कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला हुआ कि प्राधिकरण के सदस्यों का एक उप–समूह गठित होगा, ताकि खाद्य संरक्षा तथा मानक (खाद्य अनुस्मरण प्रक्रिया) विनियम, 2013 के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श हो सके। उप–समूह अपनी रिपोर्ट को 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। उप–समूह का गठन निम्न सदस्यों द्वारा होगाः

1. डा. ए.के. श्रीवास्तव – अध्यक्ष
2. सुश्री श्रेया पांडे – सदस्य
3. सुश्री मीतू कपूर – सदस्य
4. श्री वासुदेव के. ठक्कर – सदस्य
5. डा. ए. आर. शर्मा – सदस्य

(ख) न्यूट्रासिटिकल्स, पौषणिक, कार्यात्मक खाद्य, नवीनतम खाद्य तथा स्वास्थ्य खाद्य पूरकों पर ड्राफ्ट विनियम

कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला हुआ कि प्राधिकरण के सदस्यों का एक उप–समूह गठित होगा, ताकि खाद्य संरक्षा तथा मानक (न्यूट्रासिटिकल्स, पौषणिक, कार्यात्मक खाद्य, नवीनतम खाद्य तथा स्वास्थ्य खाद्य पूरक) विनियम, 2013 के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श हो सके। उप–समूह अपनी रिपोर्ट को 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। उप–समूह का गठन निम्न सदस्यों द्वारा होगाः

1. डा. (सुश्री) ललिथा रामकृष्ण गौडा – अध्यक्ष
2. सुश्री श्रेया पांडे – सदस्य
3. सुश्री मीतू कपूर – सदस्य

4. वित्त वर्ष 2012–13 के लिए प्राधिकरण के लेखों का अनुमोदन

वित्त वर्ष 2012–13 के लिए प्राधिकरण के लेखों को खाद्य प्राधिकरण ने नोट एवं अनुमोदित किया।

5. प्राधिकरण की सूचना के लिए कार्यसूची

(क) भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन, भत्ते एवं तथा सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013

प्राधिकरण के सदस्यों को भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013 के बारे में सूचित किया गया।

(ख) खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला (एफआरएसएल), गाजियाबाद का समर्पण / अर्पण

प्राधिकरण के सदस्यों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकतर कर्मचारियों ने सरकार में बने रहने को चुना, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला (एफआरएसएल), गाजियाबाद के समर्पण / अर्पण के बारे में सूचित किया गया। फिर भी, एफ एस एस ए आई द्वारा अधिसूचित एक निर्दिष्ट प्रयोगशाला के रूप में एफआरएसएल, गाजियाबाद जारी रहेगी।

(ग) राज्य/केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस के लिए नए आवेदन हेतु संलग्न दस्तावेज
प्राधिकरण सदस्यों को राज्य/केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए आवेदन हेतु संलग्न दस्तावेजों के बारे में सूचित किया गया।

(घ) जून 2012 से जुलाई 2013 के दौरान विभिन्न परामर्शों को जारी किया गया।
प्राधिकरण सदस्यों को जून 2012 से जुलाई 2013 तक एफ एस एस ए आई द्वारा जारी विभिन्न परामर्शों के के बारे में सूचित किया गया।

6. घरेलू बाजार में आवेदन के लिए संहिता मानकों के अस्थायी अंगीकरण के लिए नीति

प्राधिकरण सदस्यों ने घरेलू बाजार में आवेदन के लिए संहिता मानकों के अस्थायी अंगीकरण के लिए नीति के प्रस्ताव पर विचार किया।

7. एफ एस एस ए आई द्वारा संहिता के साथ भारतीय खाद्य मानकों के उन्नयन / समानीकरण के लिए हाल में ही उठाए गए कदम

प्राधिकरण सदस्यों को एफ एस एस ए आई द्वारा संहिता के साथ भारतीय खाद्य मानकों के उन्नयन / समानीकरण के लिए हाल में ही उठाए गए कदमों के बारे में सूचित किया गया।

8. अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए कोई अन्य मद

कोई नही

9. निष्कर्ष

बैठक को सम्पन्न करते हुए, एफ एस एस ए आई अध्यक्ष ने सदस्यों को उनके सक्रिय रूप में भाग लेने पर धन्यवाद दिया तथा इच्छा प्रकट की कि उनके सक्रिय रूप से भाग लेने पर लोगों में खाद्य संरक्षा के लिए चेतना उजागर होगी। उन्होंने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया की कि वे प्राधिकरण के उन मामलों पर भी ध्यान दें जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। यह आवश्यक था कि इस तरह के अधिनियम को लागू होने के लिए उपभेक्ताओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए ताकि अधिनियम को आसानी से चलाया जाए, ना कि जोर से धक्का दिया जाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अध्यक्ष

अनुलग्नक

भागीदारों की सूची

प्राधिकरण के सदस्य

1. श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई
2. श्री डी.के. सामंतरे, सदस्य सचिव
3. डा. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, करनाल, हरियाणा–132001
4. डा. (सुश्री) ललिथा रामाकृष्णा गोवडा, मुख्य वैज्ञानिक, प्रोटीन रसायन और प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआईआर मैसूर, कर्नाटक–570020
5. सुश्री श्रेया पांडे, अखिल भारतीय खाद्य संसाधक एसोसिएशन, 206, अरबिंदो प्लेस मार्किट, हौज खास, नई दिल्ली
6. सुश्री मीतू कपूर, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई), इंडिया हैबिटेट सेंटर, 4ए, भूतल, लोधी रोड, नई दिल्ली
7. श्री थंगलूरा, मिजोरम उपभोक्ता संघ, ललाट चौक, टेम्पल स्केयर, तुईकुआल साउथ, एज़ोल, मिजोरम –796001
8. श्री वासुदेव के ठक्कर, अध्यक्ष, 'वी' केयर राइट एंड डयूटी एनजीओ वी केयर हाऊस, केयर फार्म के सामने, करोडिया रोड, डाकघर–बाजवा, वडोदरा, गुजरात–391310
9. श्री अबुकलाम, मदीना मुनव्वरा कॉफी एस्टेट, जयापुरा कोप्पा ताल्लूक चिकमगंलूर, कर्नाटक
10. डा. ए. आर. शर्मा, सीएमडी, मैसर्स रिसीला हेल्थ फूड्स लिमि, गांव मनवाला, सरोन रोड, धुरी, संगरुर, पंजाब–148024
11. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पचंशील भवन, नई दिल्ली
12. श्री जी. नारायण राजू, संयुक्त सचिव और विधान परिषद्, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली
13. श्री उतपल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, डीएसी, कृषि भवन, नई दिल्ली
14. श्री असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
15. डा. सुरेखा चोपड़ा, प्रतिनिधि–हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्य नोडल अधिकारी–खाद्य प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश
16. श्री एमपी सिंह, अतिरिक्त विकास आयुक्त, एम/ओ एमएसएमई, 716, निर्माण भवन, नई दिल्ली

एफ एस एस ए आई के अधिकारी

1. श्री एस. दवे, सलाहकार, एफ एस एस ए आई

2. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स), एफ एस एस ए आई
3. डा. प्रदीप चक्रबर्ती, निदेशक (मंडल/आईईसी/प्रशास.) (एफ एस एस ए आई)
4. कर्नल सीआर दलाल, निदेशक (निगरानी/प्रवर्तन), एफ एस एस ए आई
5. डा. मीनाक्षी सिंह, वैज्ञानिक (मानक), एफ एस एस ए आई
6. डा. संध्या काबरा, निदेशक (क्यूए), एफएसएसएआइ
7. श्री अनिल मेहता, डीडी (उत्तरी क्षेत्र), एफ एस एस ए आई
8. श्री राकेश कुलश्रेष्ठा, डीडी (जीए), एफ एस एस ए आई
9. श्री संजय गुप्ता, एडी (प्रवर्तन) एफ एस एस ए आई
10. श्री बीजी पांडियान, एडी (आयात) एफ एस एस ए आई
11. श्री पीके कार्तिकेयन, एडी (क्यूए) एफ एस एस ए आई